भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या – 196**

(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 01 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

**कंपनी अधिनियम की समीक्षा**

**196. श्री सी. एम. रमेश :**

क्‍या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की समीक्षा करने के लिए बनाई गई छह विशेषज्ञ समितियों में से प्रत्येक का ब्यौरा क्या है:

(ख) अपने कार्यान्वयन के केवल 2 वर्षों की अल्प अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की समीक्षा करने का क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या औद्योगिक निकायों से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कंपनी विधि में किस प्रकार शामिल करने का विचार है?

**उत्‍तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)**

**(क), (ख), (घ) और (ड.):** कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा राज्य सभा में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 पर चर्चा के दौरान राज्य सभा में सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के प्रत्युत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करते हुए और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में विभिन्न पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए कंपनी विधि समिति का गठन (अनुलग्नक-I) किया गया था।

 कंपनी विधि समिति ने मंत्रालय की वेबसाइट [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) के माध्यम से सभी पक्षकारों से सुझाव आमत्रित किए थे और उसके उत्तर में समिति को लगभग 2000 सुझाव (उद्योग मंडलों, व्यावसायिक संस्थानों, निजी व्यक्तियों आदि से सुझावों सहित) प्राप्त हुए थे। प्राप्त सुझावों पर विस्तृत परिचर्चा को ध्यान में रखते हुए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए छह समूहों का गठन किया गया था। सीएलसी की अनुशंसाओं पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

**(ग):**  एनसीएलटी के सदस्यों (न्यायिक और तकनीकी) की चयन प्रक्रिया एवं राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलटी) के तकनीकी सदस्यों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के गठन की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है।अधिकरणों के लिए आधारभूत सुविधाओं तथा अन्य सहायक आवश्यकताओं के लिए प्रावधान करने हेतु भी कदम उठाए गए हैं।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक-I**

**फा.सं.2/19/2011-सीएल-V**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**‘ए’ विंग, पांचवा तल, शास्त्री भवन,**

**नई दिल्ली-110001**

**दिनांक 04 जून, 2015**

**आदेश**

विषय: कंपनी विधि समिति का गठन

 सरकार निम्नलिखित को शामिल करते हुए कंपनी विधि समिति का गठन करती है:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम संख्या** | **व्यक्ति/संस्थान का नाम** | **पद** |
|  | सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय | अध्यक्ष |
|  | सुश्री रेवा खेतरपाल, पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय | सदस्य |
|  | श्री मनोज फड़नीस, अध्यक्ष, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान | सदस्य |
|  | श्री अतुल एच. मेहता, अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान | सदस्य |
|  | श्री ए. एस. दुर्गा प्रसाद, अध्यक्ष, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान | सदस्य |
|  | श्री भरत वसानी, मुख्य कानूनी एवं समूह जनरल काऊंसल, टाटा संस लिमिटेड, उद्योग नामिती | सदस्य |
|  | श्री वाई. एम. देवस्थली, अध्यक्ष, एलएंडटी, फाइनेंस होल्डिंग्स, उद्योग नामिति | सदस्य |
|  | संयुक्त सचिव (नीति), कारपोरेट कार्य मंत्रालय | सदस्य-संयोजक |

2. समिति कंपनी विधि या किसी अऩ्य विषयवस्तु के संबंध में विषयवस्तु विशेषज्ञ को और सेबी, आरबीआई, नियंत्रक महालेखापरीक्षक के विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित या सहयोजित कर सकती है। समिति विस्तृत विचार-विमर्श के हित में किसी व्यक्ति या निकाय को भी आमंत्रित कर सकती है।

....2/-

-2-

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं –

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यान्वय से उत्पन्न मुद्दों पर सरकार को अनुशंसाएं करना; और

1. ऊपर्युक्त (i) पर कार्रवाई करते हुए दिवालियापन कानून सुधार समिति, सीएसआर संबंधी उच्चस्तरीय समिति, विधि समिति और अन्य अभिकरणों से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार करना।

4. समिति के गैर-सरकारी सदस्य विद्यमान सरकारी अऩुदेशों के अऩुसार यात्रा, परिवहन और अन्य भत्तों के पात्र होंगे जब भी प्रायोजन एजेंसी उनका व्यय वहन करने में असमर्थ होगी। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समिति को अनुसचीवीय समर्थन दिया जाएगा।

5. समिति अपनी पहली बैठक के छह महीनो के भीतर अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

ह./-

(आलोक सामंतराय)

निदेशक, निरीक्षण एवं जांच

दूरभाष-23389602

सेवा में,

 समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि –

1. कारपोरेट कार्य मंत्री के निजी सचिव
2. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
3. अपर सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव (एम.), संयुक्त सचिव (बी.), संयुक्त सचिव (एस.पी.), संयुक्त सचिव (के.) के निजी सचिव
5. सभी प्रादेशिक निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक
6. एसोचैम/फिक्की/सीआईआई के अध्यक्ष
7. गार्ड फाइल
8. मंत्रालय की वेबसाइट